



Neutral Citation No. - 2026:AHC:27452

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 1802 वर्ष 2026

नीरज कुमार और 9 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अनिल कुमार, शाहला जुबिन खान, वसीम आलम

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता श्री वसीम आलम और साथ ही विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना गया।
2. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्तागण, जिन्होंने जिला बदायूं के स्वास्थ्य विभाग में कोविड-19 महामारी के दौरान कार्य किया है, रिक्त पदों के विरुद्ध आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से या अन्यथा, अनुबंध के आधार पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की स्थिति में पुनः नियोजित होने के लिए दिनांक 27.05.2025 के सरकारी आदेश के लाभ का दावा कर रहे हैं।
3. यह तर्क दिया गया है कि हाल ही में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बदायूं द्वारा कई नियुक्तियाँ की गई हैं, लेकिन उन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के दावे की अनदेखी की गई है जिन्हें कोरोना वारियर्स के रूप में जाना जाता है और जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। दिनांक 27.05.2025 का सरकारी आदेश रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 3 के रूप में रिकॉर्ड पर लाया गया है।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि चूंकि याचिकाकर्ता पहले ही जिला मजिस्ट्रेट, बदायूं के समक्ष जा चुके हैं, उन्हें मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बदायूं के समक्ष नए सिरे से जाने का निर्देश दिया जा सकता है और उनके दावों को कानून के अनुसार निस्तारित करने का निर्देश दिया जा सकता है।
5. संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेख का परिशीलन करने के बाद, विशेष रूप से दिनांक 27.05.2025 का सरकारी आदेश, जिसमें उन कोरोना वारियर्स को पुनः रोजगार की पेशकश की अपेक्षा है जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, ताकि उन्हें जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से पुनः नियोजन के रूप में सीधी नियुक्ति की पेशकश की जा सके, एतद्वारा यह प्रावधान किया जाता है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बदायूं द्वारा इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने के अधिकतम दो महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ताओं के प्रत्यावेदन पर दिनांक 27.05.2025 के सरकारी आदेश के संदर्भ में विचार किया जाएगा और उसे निस्तारित किया

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिले के स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, जो अनुबंध के आधार पर भी हो सकती है, करने का प्रस्ताव करते हैं, तो दिनांक 27.05.2025 के सरकारी आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि यदि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग में सूचीबद्ध कोरोना वारियर्स के दावों की अनदेखी करते हुए दिनांक 27.05.2025 के सरकारी आदेश के जारी होने के बावजूद पहले नियुक्तियाँ की हैं, तो जिला मजिस्ट्रेट आवश्यक सुधार सुनिश्चित करेंगे ताकि दिनांक 27.05.2025 के सरकारी आदेश का उसके मूल भाव और भावना के साथ अनुपालन हो सके।

6. उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, यह याचिका निस्तारित की जाती है।

9 फरवरी, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"